

कार्यालय, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रान्तिक विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ-5/बीमा/व्य.एवं प./94-95/

दिनांक: - 16-4-99

कार्यालय निर्देश संख्या. १/९९-२०००

राजस्थान सरकार कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 52 में प्रावधान है कि प्रीमियम की लापता जमाओं का समायोजन बीमा अभिलेख पुस्तक जी.ए.-55(ए) या सरकार द्वारा समय समय पर विहित किरी भी अन्य प्रोफार्मा में सत्यापित प्राविष्टि के आधार पर किया जायेगा। इस प्रावधान के अनुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या ५.४(६४)वित्त/राजस्व/९२ दिनांक ६.३.९९ द्वारा बीमा की लुप्त राशि के समायोजन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का अनुमोदन किया गया है।

१-प्रमाण पत्र "क":-

जिन कर्मचारियों का वेतन, वेतन बिलों को कोष कार्यालय से पारित करवा कर भुगतान किया जाता है के मामलों में लुप्त कटौती की राशि का समायोजन इस प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकेगा। इस प्रमाण पत्र के प्रथम भाग की पूर्ति संबंधित बीमेदार द्वारा तथा द्वितीय भाग की पूर्ति उसके वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

प्रमाण पत्र "क"

(प्रथम भाग)

(वे कर्मचारी जिनके वेतन बिल कोष कार्यालय से पारित किये जोते हैं, के द्वारा पूर्ति किया जाये।)

मैं.....पुत्र श्री.....जो
कि कार्यालय.....में.....के पद पर कार्यरत
हूँ, प्रमाणित करता हूँ कि निम्न माह/माहों में उनके सम्मुख अंकित अनुसार मेरे वेतन से बीमा
प्रीमियम की कटौती की गयी है।

पौलिसी संख्या

क्र०स०

माह/महिने

प्रीमियम दर

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि :-

१. उपरोक्त अनुसार दर्शायी गयी प्रीमियम की दर मेरी जानकारी में सही है।
२. मेरे द्वारा प्रीमियम की दर अंकित नहीं किये जाने की दशा में लुप्त कटौती के माह से तुरन्त पहिले प्राप्त प्रीमियम की दर से बीमा विभाग द्वारा समायोजित प्रीमियम मुझे स्वीकार होगा।

3. उपरोक्त अनुसार समायोजन के फलस्वरूप अधिक भुगतान होने की दशा में ऐसी अधिक भुगतान हुयी राशि राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग को लौटाने का वचन देता है ।

हस्ताक्षर सरकारी कर्मचारी

(भाग द्वितीय)

(वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पूर्ति किया जायें)

उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/अवकाश पंजिका/व्यक्तिगत पंजिका से किये सत्यापन अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी उपरोक्त वर्णित अवधि में निलम्बन/अवैतनिक अवकाश/ परिवर्तित अवकाश पर नहीं था या किसी अन्य राज्य/निगम/मण्डल आदि स्वपाशी संस्था एवं स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्त पर नहीं था ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी
मय पद भोहर

2. प्रमाण पत्र "ख" :-

पंचायत समिति, जिला परिषद, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की बीमा कटौती की लुप्त राशि इस प्रमाण पत्र के आधार पर समायोजित की जा सकेगी । वर्कचार्ज कर्मचारियों की 1.4.94 से पूर्व की लुप्त राशि भी इसी प्रमाण पत्र के आधार पर समायोजित की जा सकेगी । इस प्रमाण पत्र के प्रथम भाग की पूर्ति स्वयं कर्मचारी द्वारा एवं द्वितीय भाग की पूर्ति उसके तत्कालीन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

प्रमाण पत्र "ख"

(भाग प्रथम)

(पंचायत समिति, जिला परिषद, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकाय के कर्मचारी एवं वर्कचार्ज कर्मचारी
द्वारा पूर्ति किया जायें)

मै पुत्र श्री जो कार्यालय में पद पर नियुक्त हूँ प्रमाणित करता हूँ कि निम्न माह/माहों में उनके सम्मुख अंकित अनुसार मेरे वेतन से बीमा की और कटौती की गयी हैं ।

पॉलिसी संख्या

क्र.सं.	माह/माहों का नाम	बीमा की ओर की गयी कटौती की दर
---------	------------------	-------------------------------

प्रीमियम	दर
----------	----

1

2

3

4

कर्मचारी के हस्ताक्षर

राशि

(द्वितीय भाग)
(संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पूर्ती किया जायें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी की उपरोक्त वसूलियां नीचे दिये गये विवरण अनुसार बीमा निधि में जमा करायी गयी हैं।

क्र. सं.	माह/माहों का नाम	बीमा वसूली की दर प्रीमियम वरण	चालान/चैक/केश वाउचर जिसके द्वारा राशि जमा करायी गयी का विवरण	जमा करायी गयी कुल राशि जिसमें बीमेदार की उक्त राशि सम्मिलित है।
क्रमांक	दिनांक			
1.	2.	3.	4.	5.
				6.
				7.

संबंधित संरक्षा के आहरण एवं वितरण अधिकारी
के हस्ताक्षर मय पद मोहर

3. जिन मामलों में कर्मचारी सेवा से अलग होने के बाद अपनी पॉलिसी का संधारण कर रहे हैं और प्रीमियम की राशि चालान/चैक द्वारा बीमा निधि में जमा करायी गयी हैं के मामलों में चालान/चैक जिसके द्वारा राशि जमा करायी गयी हैं की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर इसके आधार पर लुप्त राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

इस प्रमाण पत्रों के आधार पर उसी राशि का समायोजन किया जाये जो विभागीय रेकार्ड से सत्यापित नहीं हो रही है। अतः इसके आधार पर समायोजन से पूर्व विभागीय रेकार्ड से राशि का सत्यापन किया जाये तथा सत्यापन कर्ता कर्मचारी की टिप्पणी पत्रावली पर अंकित की जायें।

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

code :- GA55.

R